

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक-06/फिटनेस (ATS)-06-02/2023 6905

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

Vivan Automobiles,
AT-Narayan Bhawan, Bhikhanpura,
Dist.-Muzaffarpur, Bihar-842001.
E-mail:-bipinrsingh@gmail.com

पटना, दिनांक:- 21/8/2025

विषय- मुजफ्फरपुर जिले में स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना के निर्माण हेतु निर्गत प्रारंभिक निबंधन प्रमाण-पत्र सं0-06/2023 को रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा उनके पत्रांक-1671 दिनांक-29.04.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के द्वारा स्वचालित परीक्षण स्टेशन के निर्माण में कोई अभिरुचि नहीं है साथ ही आवेदक के पक्ष में निर्गत प्रारंभिक निबंधन प्रमाण-पत्र (PRC) सं0-06/2023 रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

विभागीय पत्रांक-1268, दिनांक-11.02.2025 द्वारा निर्गत नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया गया था कि एक सप्ताह के अन्दर स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना के लिए इच्छुक नहीं हैं एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के अनुशंसा के आलोक में स्वचालित परीक्षण स्टेशन के निर्माण हेतु आपको निर्गत प्रारंभिक निबंधन प्रमाण-पत्र को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। आपके द्वारा विभागीय नोटिस का कोई प्रति उत्तर समर्पित नहीं किया गया है।

विभागीय पत्रांक-4259 दिनांक-22.05.2025 द्वारा आपको सुनवाई हेतु अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक-28.05.2025 को उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था, जिसमें आप उपस्थित नहीं हुए।

अतः उपरोक्त वस्तुस्थिति एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में मुजफ्फरपुर जिला में स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना हेतु आपके पक्ष में निर्गत प्रारंभिक निबंधन प्रमाण-पत्र सं0-06/2023 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

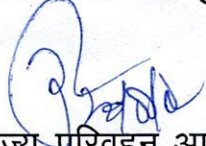
विश्वासभाजन,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 6905

पटना, दिनांक- 21/8/2025

प्रतिलिपि- जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर
/आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।